सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 09, सोमवार, *शाके* 1945-जनवरी 29, 2024 *Magha 09 Monday , Saka 1945- January 29 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 05, 2024

संख्या प.4(20)कृषि/ग्रुप-2/2016 :- राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 7 की उप धारा 1 के खण्ड ख एवं धारा 7 की उप धारा (2) के खण्ड (ब) के अन्तर्गत नवगठित कृषि उपज मण्डी समिति अरनोद के प्रथम बोर्ड के गठन हेतु इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.4(19) कृषि/ग्रुप-2/2018 दिनांक 22.08.2022 के द्वारा निम्नाकिंत मनोनीत सदस्यों का मनोनयन राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 7 की उप धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।:-

कृषक वर्गः-

श्री अरूण सिंह चूण्डावत

श्री अशोक भावसार

श्री भैरूलाल डांगी

श्री सुधीर कुमार व्यास

श्री प्रेमचन्द चौधरी

श्रीमती मधुबाला धाकड़

व्यापारी वर्गः-

श्री मुकेश कुमार जैन

ग्राम सहकारी समिति सदस्य

श्री प्रहलाद सिंह आंजना

स्थानीय निकाय

श्री दिलीप रैदास

राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य

श्री प्रभुलाल मीणा

स्थानीय विधायक

श्री रामलाल मीणा

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।